Zealot Public School

'A Co-educational English Medium School'

Alapur Road, Budaun (U.P.)
Ph.: 09045556748, 9267362944
E-mail : zealotpublicschool@gmail.com

Ref. No.

Dated 09.10.13

To,
The Joint Director of Education
Bareilly Mandal
Bareilly, UP.

Sir,

With due respect, I beg to inform you that CBSE vide their circular dated 8.7.2013 has amended Affiliation Bye-Laws of the Board for their affiliation (Copy enclosed).

In this connection, I beg to inform you that our school is recognized upto 8th class from UP Government and we have applied for provisional affiliation upto Secondary Level with CBSE.

This is for your kind information please.

Thanking You.

Yours faithfully

Manager
Manager
Zealot Public School
Alapur Road, Budaun (U.P.)

Encls : As above

प्राप्त
9.10.13

Scanned with CamScanner

Phone: 011-22520242 (Technical Query) [redacted]
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affl.)
Fax: 011-22540655

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

REGD./SPEED POST
Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277 **Dated: 08.07.2013**

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting hold on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with the CBSE. "No Objection Certificate" once issued to any school will be considered at par even if it s prescribes a specific period of *stage unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.1(i) to (iv)	The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(U C BODH)
DEPUTY SECRETARY (AFF.)
08/07/13

Copy for information to the following:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New-Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201307, District Gautam Budh Nagar, (Uttar Pradesh).
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054

Contd....2....

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ (उत्तर–प्रदेश)

पत्रांक : शि०स०/ 1760-64 /2013–14 दिनाँक : 18-05-2013

सेवा में,

प्रबन्धक,

जौलाट पब्लिक स्कूल पडोआ (अंग्रेजी माध्यम)
वि०क्षेत्र : जगत-I
(रसूलपुर विलहरी)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 18-09-2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं.............जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ, .. जौलाट पब्लिक स्कूल पडोआ वि०क्षेत्र-जगत (रसूलपुर विलहरी) ....को तारीख....01 जुलाई 2012.....से तारीख.....30 जून 2015....तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा....नर्सरी.....से कक्षा....8....तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा– नर्सरी से कक्षा– 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

1– प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

क्रमशः ....2 पर

//Praveen/Manyta

Scanned with CamScanner

2– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

3– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

4– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

5– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

6– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

7– अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

8– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया–कलापों में नियोजित नही करेगा।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8440 वर्ग मी.
कुल निर्मित क्षेत्र	986.34 वर्ग मी.
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	7000 वर्ग मी.
कक्षाओं की संख्या	10
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डरागार के लिए कक्ष	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	02
पेयजल सुविधा	समर सेबिल एवं हैण्ड पम्प
मिडडे-मील पकाने के लिए रसोई	x
बाधारहित पंहुच	है

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता। उपलब्ध हैं

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

क्रमशः ....3 पर

//Praveen/Manyta

Scanned with CamScanner

13— विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकांउटेण्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 02/2012-13 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16— सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गये है उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पृ०सं० : शि०स०/ /2013–14 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

//Praveen/Manyta

Scanned with CamScanner